

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 153वीं बैठक
का कार्यवृत्त



दिनांक : 25.04.2018

दिन : बुधवार

समय : पूर्वान्ह 12:00 बजे

स्थान : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड, लखनऊ के आडीटोरियम

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 153वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक : 25.04.2018

सभास्थल : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ का आडीटोरियम।

समय : पूर्वान्ह 12:00 बजे

उपस्थिति :-

1.	डा० सुशील सोलोमन, कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री वी०राम शास्त्री, विशेष सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ -226001	सदस्य / प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि
3.	श्री एस०पी० सिंह, अपर निदेशक कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर	सदस्य / प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त
4.	श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा, उप सचिव उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ-226001	सदस्य / प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा
5.	श्री वीरेन्द्र कुमार सिशौदिया, संयुक्त निदेशक कृषि, उ०प्र०, लखनऊ-226001	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक कृषि
6.	डा० चरण सिंह यादव, निदेशक, (प्र० एवं वि०) पशुपालन, उ०प्र०, लखनऊ-226001	सदस्य
7.	श्री अभिजीत सिंह सांगा, ओम भवन, सूबेदार नगर, बिठूर, कानपुर नगर।	सदस्य
8.	डा० असीम यादव, 302, मो०-गढ़ैया, जनपद-शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
9.	श्री वीर सेन यादव, 750 W-2, दामोदर नगर, कानपुर-208027	सदस्य
10.	श्री शिव प्रताप सिंह, पूर्व ब्लाक प्रमुख ताखा नि० ग्राम पाहकलॉ, ब्लाक / तहसील ताखा, जनपद इटावा।	सदस्य
11.	श्री जगदीश सिंह यादव, 730, शान्ती नगर, स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद	सदस्य
12.	श्रीमती रचना सिंह, भरथना रोड, विधूना, जिला-औरैया।	सदस्या
13.	डा० एन०पी० सिंह, निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्यानपुर, कानपुर -208024	सदस्य
14.	श्री राजेश सिंह, अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर मा० सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

मद संख्या 1	: प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 06.09.2017 को सम्पन्न हुई 152वीं बैठक, आकस्मिक बैठक दिनांक 27.02.2018 की कार्यवाही का अनुमोदन। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक 06.09.2017 को सम्पन्न हुई 152वीं बैठक, आकस्मिक बैठक दिनांक 27.02.2018 के कार्यवाही/कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 2	: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 06.09.2017 को सम्पन्न हुई 152वीं बैठक एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 27.02.2018 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया गया।
मद संख्या 3	: विश्वविद्यालय के शिक्षण शोध एवं प्रसार कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु दो नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव में वर्णित वाहन संख्या-यू०पी० 78 एसी 3999 एवं यू०पी० 78 एक्यू 4907 को नियमानुसार निष्प्रयोज्य की कार्यवाही सम्पन्न कराने के उपरान्त विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ उचित प्रकार के दो नये वाहन क्रय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। श्री वीर सेन यादव मा० सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा इटावा में बाबा साहब डा० बी०आर० अम्बेडकर कृषि एवं अभि० महाविद्यालय, इटावा में पुराना वाहन होने के सापेक्ष वहाँ पर भी एक नया वाहन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया तथा पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में वाहनों पर पेट्रोल/डीजल पर कितना व्यय हुआ का, रिकार्ड अगली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
मद संख्या 4	: योजना के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 5	: विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने हेतु 30 प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम के भूतपूर्व सैनिकों को संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थानों पर तैनात किये जाने की स्वीकृत प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 6	: डा० अवधेश कुमार त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक (सस्य), सस्य विज्ञान विभाग का बांदा, कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में सह-प्राध्यापक के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 14.12.2017 (अपरान्ह) से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 7	: डा० श्याम सिंह, वैज्ञानिक (सस्य), कृषि विज्ञान केन्द्र, हाथरस का बांदा, कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में वरिष्ठ वैज्ञानिक-कम-अध्यक्ष के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 12.12.2017 (अपरान्ह) से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 8	: श्रीमती चन्द्रकला यादव, वैज्ञानिक (गृह विज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र, दलीप नगर को पीएच-डी० अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि विश्वविद्यालय इस बात का परीक्षण कर ले कि अध्ययन अवकाश में वेतन दिये जाने की व्यवस्था है अथवा नहीं ?
मद संख्या 9	: श्री पी. के. बिसारिया, सहायक प्राध्यापक (सेवानिवृत्त), कृषि जीव रसायन विभाग के लम्बित सेवा प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री एस०पी० सिंह, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त द्वारा यह जिज्ञासा की गयी कि क्या अध्यापकों को उपार्जित अवकाश देय है इसका संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण के सम्बन्ध में शासनादेशों/नियमों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिया गया।
मद संख्या 10	: विश्वविद्यालय अभियन्ता के पद पर श्री एम०के० मिश्र, सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति के प्रस्ताव का अनुमोदन। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा जॉच कमेटी के परिणाम के उपरान्त पुनः प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रख जाने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या 11	: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को सेन्टर फार एडवान्स एग्रीकल्चरल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ऑन न्यूट्रिसनल काप्स (CAAST-NC) योजना का विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 12	: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "Strengthening of Rabi cereal for development of high yielding wheat & barley varieties and their agro-techniques" का विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 13	: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "Seed storage godown for storage of leftover/ carry over nucleus and breeder seeds of pulse crops" का विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।




मद संख्या 14	: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "Strengthening of vegetable research station, Kalyanpur-Kanpur" का विष्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 15	: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "Strengthening of Spawn production and mushroom research unit to popularise the mushroom cultivation in U.P." का विष्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 16	: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "Strengthening and modernization of seed testing laboratory for testing of seed samples of farmers and seed growers of U.P." का विष्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 17	: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना "Establishment and popularization of improved varieties /hybrids of vegetable and their agro techniques to enhance vegetable production in U.P." का विष्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 18	: Government of India, Ministry of Science & Technology, Deptt. Of Biotechnology के पत्रांक BT/PR23490/KIS/123/2/2017 द्वारा Establishment of Biotech Kisan Hub at Chandra Shekhar Azad Univrsity of Agriculture & Technology, Kanpur के अधीन शत प्रतिशत वित्त पोषित तदर्थ परियोजना को संचालित करने हेतु प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या 19	: राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत द्वारा वित्त पोषित तदर्थ परियोजना " Monitoring of Pesticide and its effect on Vegetable and human health risk assessment in U.P. " को कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन संचालित करने हेतु प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।






मद संख्या 20	<p>: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के पत्रांक— File No.A.Extn.7/19/2016-AE-11 दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर को स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्र, कासगंज के विधिवत संचालन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
मद संख्या 21	<p>: मा0 प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किये गये उपार्जित अवकाशों की स्वीकृति का अनुमोदन।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
मद संख्या 22	<p>: विश्वविद्यालय में कार्यरत लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 के अनुसार की गयी पदोन्नतियों का अनुमोदन।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा बिन्दु 1 से 4 के सम्बन्ध में सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी को बैठक में बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 कुलपति द्वारा गठित समिति की संसुतियों के क्रम में कार्यवाही की गयी है। उक्त उत्तर से संतुष्ट न होते हुए मा प्रबन्ध मण्डल द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार नहीं किया गया, तथा यह निर्देश दिये गये कि बिन्दु 5 पर उल्लिखित संवर्ग पुनर्गठन सम्बन्धी शासनादेशों को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुए शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय।</p>
मद संख्या 23	<p>: स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3/2015/4656/सोलह-1-2015-176/98 दिनांक 07.12.2015 के क्रम में मानदेय में वृद्धि हेतु कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>
मद संख्या 24	<p>: स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत योजित संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव के क्रम में मानदेय वृद्धि हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने एवं उक्त कार्मिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये।</p>
मद संख्या 25	<p>: स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अतिथि व्याख्याताओं (गेस्ट फ़ैकल्टी) के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3/2015/4656/सोलह-1-2015-176/98 दिनांक 07.12.2015 के क्रम में मानदेय में वृद्धि हेतु कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए गये।</p>




<p>मद संख्या 26</p>	<p>: बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुमानित आय-व्यय को माननीय प्रबंध मण्डल के समक्ष विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त आय-व्ययक अनुमोदित किया गया तथा शासन से भी अनुदान की मांग किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>
<p>मद संख्या 27</p>	<p>: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर को आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2018-19 का प्रस्तावित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा अनुमानित बजट, शासन से प्राप्त अनुदान एवं शासन/केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त अनुदानों की स्वीकृति/व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>

-: पूरक प्रस्ताव :-

<p>मद संख्या 28</p>	<p>: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।</p>
<p>पूरक 1</p>	<p>: विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्ष/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को सत्रांत लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>इस सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध मण्डल ने विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया चूंकि प्रस्तावित कार्मिक/अधिकारी शिक्षणत्तर है। यदि इन्हें सत्रान्त लाभ अनुमन्य किये जाने की कोई व्यवस्था हो तो इस सम्बन्ध में तथ्यपरक प्रस्ताव सुसंगत शासनादेशों/नियमों सहित मा० प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में रखा जाय।</p>
<p>पूरक 2</p>	<p>: माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ, मा० सिविल न्यायालय, माननीय श्रम न्यायालय में योजित याचिकाओं/वादों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय अधिवक्ताओं के वाद शुल्क में अभिवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में नियोजित वादों की समीक्षा के उपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>



6


<p>पूरक 3</p>	<p>: डा० रामनाथ, पूर्व सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी, च०शे०आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के विरुद्ध धारा-13(1)डी सपठित धारा-13(2) भ०नि० अधिनियम-1988 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय मे अभियोजन चलाये जाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा अभियोजन की स्वीकृति न दिए जाने का निर्णय लिया गया।</p>
<p>पूरक 4</p>	<p>: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन तिलहन शोध प्रक्षेत्र कानपुर की 2.52 हे० भूमि, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर को हस्तान्तरित करने विषयक प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर को सयुक्त रूप से उक्त भूमि पर शोध कार्य करने की अनुमति दी गयी। इस हेतु दोनों संस्थाओं के मध्य एक M.O.U. एक निष्पादित किया जायेगा।</p>
<p>पूरक 5</p>	<p>: सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय को वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान एवं वेतन बैंड रू० 15600-39100 एजीपी रू० 6000 से 7000 एवं 7000 से 8000 अनुमन्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय दिया गया कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों का निरूपण करते हुए I.C.A.R. एवं अनुदान देने वाली संस्था को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। उनसे अनुमोदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।</p>

इसके अतिरिक्त मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा अतिथि गृहों से सम्बन्धित आय-व्यय का व्यौरा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये।

अन्त में बैठक मा० अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।


 (राजेश सिंह)
 अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
 प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

 (डा० सुशील सोलोमन)
 कुलपति एवं अध्यक्ष
 प्रबन्ध मण्डल